26 जून, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-44

कार्यकारी आदेश 2020-44
(कोविड-19 (COVID-19) कार्यकारी आदेश सं. 42)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय एक ऐसी वैश्विक-महामारी द्वारा उत्पन्न आपदा का सामना कर रहा है जो असाधारण रुग्णता एवं जनहानि का कारण बनी है, 1,40,000 से भी अधिक को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा अभी-भी बढ़ रहा है, और जिसने हजारों निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, जैसा कि इलिनोइस कोरोनवायरस वायरस 2019 (COVID-19) के कारण होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का जवाब देने के पांचवें महीने में प्रवेश करता है, एक गंभीर श्वसन बीमारी है जो श्वसन संक्रमण के माध्यम से तेजी से फैलती है और जो एक प्रभावी उपचार या टीका के बिना जारी रहती है। राज्य भर में निवासियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, पहले उत्तरदाताओं और सरकारों पर बोझ अभूतपूर्व है; तथा,

जबकि, चूंकि राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान कोविड-19 (COVID-19) इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वायरस का पथ क्या होगा इसके निर्णायक पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 6,800 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की त्रासद जनहानि करने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपत्ति बनकर टूटने के अतिरिक्त, कोविड-19 (COVID-19) ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी पूरे राष्ट्र एवं राज्य में उल्लेखनीय संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के आर्थिक कुशलक्षेम को ख़तरे में डाले हुए है; और,

जबकि, 26 जून, 2020 को, अस्पताल संसाधनों पर लगातार बने हुए बोझ के कारण, कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने के कारण, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार जारी स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनके कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी की आपातस्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, और 2020-42 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूं और उन कार्यकारी आदेशों के जबकि खंडों को एतद्द्वारा सम्मिलित करता हूं;

अतः, इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझे प्राप्त शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों की संगति में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूं जो 26 जून, 2020 से प्रभावी होगा:

भाग 1: कार्यकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।

कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-31, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, और 2020-42 को इस कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा निम्नवत एतद्द्वारा पुनः जारी किया जाता है:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन (James R. Thompson) केंद्र की बंदी; राज्य कर्मचारियों के लिए रुग्णता अवकाश आवश्यकता का अधित्याग):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2 और 3 को पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मिलने की आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-07 का अनुभाग 6, जैसा कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा संशोधित है, और जैसा नीचे भी संशोधित एवं पुनरीक्षित है, को पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 6. इलिनॉय वित्त प्राधिकरण अधिनियम (फ़ाइनेंस अथॉरिटी एक्ट) का यह उपबंध कि "[स]भी बैठकें राज्य के अंदर केवल एक स्थान पर, उस स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों के साथ संचालित की जाएंगी," 20 ILCS 3501/801-25, 26 जुलाई, 2020 तक स्थगित किया जाता है। इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) का यह उपबंध कि गुप्त वहन अनुज्ञापन समीक्षा बोर्ड (कन्सील्ड कैरी लाइसेंसिंग रीव्यू बोर्ड) की ऐसी बैठक जो तब के लिए जब "आयुक्त (कमिश्नर) टेलीफोन से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग ले सकते हैं", एक शर्त के रूप में यह आवश्यक करती है कि "बैठक में गणपूर्ति (कोरम) उपस्थित हो", 20 इलि. प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव संहिता 2900.110(c), 26 जुलाई, 2020 तक स्थगित की जाती है।

सार्वजनिक निकायों, जिनमें विशिष्ट रूप से ऊपर सूचीबद्ध निकाय शामिल हैं, को प्रेरित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यदि अन्य सदस्य बैठक में टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भाग ले रहे हों तो कम-से-कम एक व्यक्ति बैठक के स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित हो। सार्वजनिक निकायों को वीडियो, ऑडियो और / या टेलिफोनिक पहुंच प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि जनता के सदस्यों की बैठक की निगरानी हो सके, और कोविड-19 (COVID-19) के कारण उनकी बैठकों की समय-सारणी या प्रारूप में होने वाले किसी भी संशोधन, और कोविड-19 (COVID-19) से संबंधित उनकी गतिविधियों के बारे में आम जनता को पूरी तरह अवगत कराया जा सके।

कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):

कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभाग 3 और 4, जैसे कार्यकारी आदेश 2020-39 द्वारा संशोधित हैं, को पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-08 को निम्नवत भी संशोधित और पुनरीक्षित किया जाता है:

अनुभाग 5: राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) की अवधि के दौरान और उनके समापन के बाद अधिकतम तीस दिनों तक, वे आवश्यकताएं स्थगित की जाती हैं जो वे समय-सीमाएं निर्धारित करती हैं जिनके भीतर सचिव के द्वारा इलिनॉय वाहन संहिता (वेहिकल कोड) के अनुभागों 2-118, 2-118.1 और 2-118.2 के अनुसरण में सुनवाइयां करवाना और अंतिम आदेश जारी करना आवश्यक होते हैं।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (टेलिहेल्थ):

कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेशों के पुनरीक्षण; सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; किशोर न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि; कोयला खनन अधिनियम (कोल माइनिंग एक्ट)):

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभाग 1, 2, और 3 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किए जाते हैं और **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाए जाते हैं।

कार्यकारी आदेश 2020-13 (काउंटी जेलों से इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) में दाख़िलों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-13 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (स्कूल कोड) के उपबंधों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-16 (वाहनों को पुनः कब्जे में लेना; सुरक्षा सेवाओं के लिए कक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भांग (केनाबिस) संबंधी समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएं):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शन्स) के कैदियों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 (टाउनशिप बैठकें; अंत्येष्टि निदेशक एवं शवलेपक अनुज्ञापन संहिता (फ़्यूनरल डाइरेक्टर्स एंड एम्बामर्स लाइसेंसिंग कोड); बाल देखभाल अधिनियम 1969 (चाइल्ड केयर एक्ट ऑफ़ 1969) के अंतर्गत स्थापन; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम (हेल्थ केयर वर्कर बैकग्राउंड चैक एक्ट) के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 2, 3, 4, 5, और व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़ को पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न अनुज्ञप्त (लाइसेंसशुदा) पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं वृत्तिक नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा कार्रवाइयां):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) न्यायिक उपचार कार्यक्रम (फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की पड़ताल:

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियां):

कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2020-26 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (कोविड-19 (COVID-19) परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा अनुज्ञापियों (लाइसेंसीज़) का आमने-सामने शिक्षण या परीक्षा):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-30 (आवासीय निष्कासन कार्रवाइयों की मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग); ग़ैर-आवासीय निष्कासन आदेशों का प्रवर्तन; कालातीत (एक्सपायर) हो चुके दूतावासीय (कौंसुलर) पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग (ह्यूमन राइट्स कमीशन) के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिसिलबंदी (फ़ाइलिंग):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-33 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-30 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-31 (शिक्षक अनुज्ञा (लाइसेंस) स्वीकृति एवं नियमन तथा विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने संबंधी आवश्यकताएं):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-31 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग संबंधी आवश्यकताएं):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-35 (IDPH नियामक गतिविधियां):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-35 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंस)):</u>

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

<u>कार्यकारी आदेश 2020-40 (स्कूलों में आमने-सामने के सीमित अनुदेशन की बहाली):</u>

नीचे यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-40 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

अनुभाग 1. इलिनॉय में प्री-किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सेवाएं देने वाले सभी सार्वजनिक एवं असार्वजनिक स्कूल, नियमित 2019-2020 स्कूल सत्र पूरा हो जाने के बाद, आमने-सामने के शैक्षिक उद्देश्यों, जैसे ग्रीष्मकालीन स्कूल, के लिए खोले जा सकते हैं। सभी सार्वजनिक एवं असार्वजनिक स्कूल भोजन एवं अन्य शिक्षणेतर सेवाएं देना जारी रख सकते हैं। स्कूलों को चरण <u>4</u> के दौरान IDPH के मार्गदर्शन का पालन करना होगा और विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

a. सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन की अनुरूपता में एक ही स्थान पर उपस्थित लोगों की संख्या को <u>पचास</u> पर सीमित करना।
b. सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अधिकतम संभव सीमा तक अनुपालन सुनिश्चित करना। इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों से, सामाजिक दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम-से-कम छः फ़ुट की दूरी बनाए रखना और व्यक्तियों के बीच शारीरिक संपर्क को हतोत्साहित करना शामिल है।
c. उपयुक्त स्वच्छता परिपाटियां सुनिश्चित करना, जिनमें अधिकतम संभव बार हाथों को साबुन व पानी से कम-से-कम बीस सेकंड तक धोना या हैंड सेनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसते या छींकते समय नाक व मुंह ढकना (आस्तीन या कोहनी में, न कि हथेलियों से), व्यक्तिगत वस्तुओं के साझाकरण को हतोत्साहित करना, और बारंबार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ करना शामिल है।
d. उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आवश्यक करना, जिसमें दो वर्ष से अधिक आयु के तथा चिकित्सीय दृष्टि से फ़ेस कवर सहन कर सकने वाले विद्यार्थियों, स्टाफ़, और आगंतुकों द्वारा फ़ेस कवर का उपयोग शामिल है। स्कूलों को, जो कर्मचारी सारे समय न्यूनतम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में समर्थ नहीं हैं उन्हें फ़ेस कवर प्रदान करने होंगे, और अधिकतम संभव सीमा तक सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार उपयोग के बाद फेंक दिए जाने वाले फ़ेस कवर उपलब्ध कराने होंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर जुआ):

कार्यकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **26 जुलाई, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: व्यावृत्ति खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस अध्यादेश का कोई प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर उसका अनुप्रयोग सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा अमान्य निर्णीत होता है, तो यह अमान्यता अन्य किसी भी प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करती है, और उस अन्य किसी भी प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश को अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है।

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 26 जून, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 26 जून, 2020 को दायर